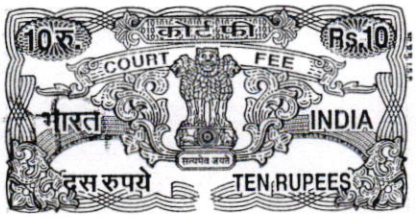

-1.

बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 COURT FEE भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 COURT FEE भारत INDIA

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
निग - 3244 - I-16

पुनरीक्षण कमांक /2016 जिला जबलपुर

कमलसिंह बरकड़े उम्र 34 वर्ष पिता
स्व. विपत लाल बरकड़े (गौंड)
निवासी म.नं. 5, ग्राम नयागांव,
पोस्ट घाट पिपरिया जबलपुर ----- आवेदक

विरूद्ध

1– कमलेश कुमार सक्सैना उम्र 60 वर्ष
पिता स्व. देवकीनंदन सक्सैना
श्रीमती नीरा सक्सैना उम्र 53 वर्ष पति श्री कमलेश कुमार सक्सैना
दोनों निवासी प्लाट नं. 64, नयागांव
हाउसिंग सोसायटी, पोस्ट ऑफिस के पास विद्युत नगर,
ग्वारीघाट, जबलपुर

3– म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर ----- अनावेदकगण

22/9/16

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 69/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–9–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की कृषि भूमि मौजा नारायणपुर प.ह.नं. 30 (मानेगांव) तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129/1 रकबा 0.200 एवं खसरा नं. 130

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3244–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.9.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, बलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 69/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–9–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक कमलसिंह गौंड़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की कृषि भूमि मौजा नारायणपुर प.ह.नं. 30 (मानेगांव) तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129/1 रकबा 0.200 एवं खसरा नं. 130 रकबा 0.700 हैक्टर को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण दिनांक 24–10–06 के लिये नियत किया । आवेदक द्वारा दिनांक 13–9–06 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किये जाने पर कलेक्टर ने निरस्त किया पुनः आवेदक द्वारा दिनांक 19–9–16 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया जिसे कलेक्टर, जबलपुर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के	

R.3244-B/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जानबूझकर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है । आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रेता से एडवांस भी प्राप्त ले लिया है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है । यदि आवेदक को अनुमति नहीं दी गई तो हो सकता है अनावेदक द्वारा भूमि का सौदा निरस्त कर दिया जाये, जिसके कारण आवेदक को आर्थिक क्षति होगी और आवश्यकताओं की पूति के लिए आवेदक को अपनी भूमि कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो शासन द्वारा आदिम जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए बने कानूनों की मंशा के विपरीत होगा । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है । उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि उसके पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 8.75 एकड़ सिंचित भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नारायणपुर प.ह.नं. 30 (मानेगांव)	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3244–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129/1 रकबा 0.200 एवं खसरा नं. 130 रकबा 0.700 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य को निम्न शर्तों के साथ विकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :– 1– प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	